नियम 70 :– राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र– राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर अवकाश या उसकी वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व, निम्न–अंकित प्रपत्र में एक प्रमाण–पत्र प्राप्त होना चाहिए–

राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण–पत्र

नाम
(सिविल सर्जन या राजकीय मेडिकल अटेण्डेण्ड के समक्ष प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये)
नियुक्ति
आयु कुल सेवा
पूर्व अवकाश का समय यदि पहले चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर अनुपस्थित रहा हो।
आदतें
रोग

मैं ..... (अस्पताल का नाम) का सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी मामले की व्यक्तिगत रूप से सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री ..... की दशा गम्भीर है तथा मैं निष्ठापूर्वक एवं गम्भीरतापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोतम निर्णय के अनुसार स्वस्थ होने के लिए सेवा से इनका अनुपस्थित रहना आवश्यक है तथा यह सिफारिश करता हूँ कि उसे ..... माह का अवकाश दिनांक .... से स्वीकृत किया जावे। मेरी सम्मति में अधिकारी के लिए चिकित्सा–मण्डल के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक है/आवश्यक नहीं है।

दिनांक .....

सिविल सर्जन या राजकीय चिकित्सा अधिकारी

नियम 83 :– एक राज्य कर्मचारी जिसने चिकित्सा–प्रमाण–पत्र के आधार पर अवकाश स्वीकृत कराया है अपने कर्तव्य पर उस समय तक उपस्थित नहीं हो सकेगा, जब तक वह स्वस्थ हाने का प्रमाण–पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं कर देता :

मैं ..... (अस्पताल/डिस्पेन्सरी का नाम) सिविल शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधिकारी, एतद्–द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री ..... विभाग ..... का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया है और इस निर्णय पर पहूंचा हूं कि वह बीमारी से स्वस्थ(ठीक) हो गया है और अब कर्तव्य पर जाने योग्य है। मैं, यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैने इस मामले के मूल चिकित्सा–प्रमाण–पत्र/पत्रों और स्टेटमेंटों, जिनके आधार पर उसके अवकाश की स्वीकृति/वृद्धि की गई है, को मूल रूप से जांच लिया है और यह निर्णय लेने के पूर्व उन पर विचार कर लिया है।

दिनांक .....

प्राधिकृत परिचालक
या
सिविल शल्य चिकित्सक